

जमर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तारीख

2022/22317A

कृष्णा कुमारी व/स महेन्द्र सांगवा

तारीख

2022/340

हुकम या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

अपिल नम्बर-3

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तारीख
जारी हुए

पेशी

श्री डिनेश शर्मा

श्री

कृष्णा कुमारी - 1
विक्रम पालिश - 1 6/1-2

18/5
23

कृष्णा कुमारी पत्नी विजय सिंह बनाम महेन्द्र सांगवा वगैरह (2022/340)

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांत व रेस्पोंडेन्ट संख्या 01, 03 उपस्थित। अभिभाषक रेस्पोंडेन्टस ने बताया कि माननीय मण्डल में विचाराधीन मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को हम नोट प्रेस कर देंगे और प्रकरण में दिनांक 08.02.2023 को राजीनामा हो चुका है फिर भी अभिभाषक अपीलांत अपील पर बहस करना चाहते हैं तो बहस सुनी जावे। अपील पर अभिभाषक उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली वारंते निर्णय अपील हेतु रिजर्व रखी जाती हैं।

24/5
23

पत्रावली वारंते आदेशाथ पेश हुई। अभिभाषक अपीलांत एवं अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट संख्या 01, 3 को दिनांक 18.05.2023 को अपील पर सुना गया।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 08.02.2023 को विजय सिंह पुत्र मानसिंह बनाम राजेश कुमार पुत्र रामकरण के मध्य राजीनामा विलेख-पत्र किया गया। राजीनामे के पैरा संख्या 06 में दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे के विरुद्ध सम्पादित की गयी विधिक कार्यवाहियों यथा सिविल न्यायालय दूदू, उपखण्ड अधिकारी, दूदू, राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर एवं माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष विचाराधीन हैं को अपने-अपने स्तर पर विद्धो (समाप्त) कर लिये जायेंगे। उक्त राजीनामा में अपीलांत कृष्णा कुमारी पत्नी विजयसिंह राजपूत के बतौर साक्षी में हस्ताक्षर किये गये हैं। इस प्रकार प्रकरण से सम्बन्धित पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो चुका है जिसकी जानकारी अपीलांत कृष्णा कुमारी को भी है इसलिए पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा होने से अपील सारहीन हो चुकी है। अतः अपील अपीलांत राजीनामा हो जाने से खारिज की जाती है। पत्रावली फंसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।